

क्र० सं०	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	दिनांक
01	02	0
<b>व्यायालय, अभिराम त्रिवेदी चरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा</b>		
<b>उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं०-११/२०२१ राज्य बनाम सिकन्दर मंडल एवं अन्य</b>		
<b>-:आदेश:-</b>		
<p>पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा के पत्रांक-१२८/म.नि., दिनांक-२१.०७.२०२१ के द्वारा आलमनगर थाना कांड सं०-१३७/२०२१, दिनांक-११.०७.२०२१, धारा-३०(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम-२०१६ में जड़ मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-३११-१२६२ है को राज्यसात करने का प्रस्ताव समाहर्ता एवं जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के व्यायालय में प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में उत्पाद कनफिसकेशन वाद सं०-११/२०२१ राज्य बनाम सिकन्दर मंडल एवं अन्य दर्ज किया है। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा रखे गए पक्ष को सुनवाई के उपरान्त वाद को अंगीकृत किया गया एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम-२०१६ की धारा-५८ की उप धारा-२ (१५) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमानुसार वाद निष्पादन हेतु अद्योहस्ताक्षरी के व्यायालय में हस्तांतरित किया है, जिस पर दिनांक-२१.०८.२०२१ से कार्यवाही प्रारंभ की गई है। प्राप्त प्रस्ताव में प्रतिवेदित किया है कि विधुयुक्त थाना कांड में जड़ मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-३११-१२६२ को १५ लीटर देशी महुआ शराब के साथ बरामद करने के आरोप में कांड दर्ज किया गया है। जड़ मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-३११-१२६२ को राज्यसात करने की अनुशंसा की है।</p>		
<p>प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में सुनवाई की अगली तिथि निर्धारण कर इस व्यायालय के डी०बी० नं०-३८/व्या०, दिनांक-०६.०९.२०२१ के द्वारा प्रतिवादी सं०-०१. श्री सिकन्दर मंडल, पिता विनदेश्वरी मंडल, सा०-पतलीया टोला वार्ड नं०-०३, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा, ०२. श्री लालकूल कुमार, पिता स्व०-चन्दू मंडल, सा०-पतलीया टोला वार्ड नं०-०३, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा एवं ०३ श्री सुमन कुमार, पिता विजय सिंह, सा०-पतलीया टोला वार्ड नं०-०३, थाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा के नाम से नोटिस निर्गत किया गया। निर्गत नोटिस को अंकित अलग-अलग पते पर निर्बंधित डाक के माध्यम से तामिला हेतु भेजा गया, जिसका निबंधन सं०-RF६२१३३००५७११, RF६२१३३२९३८११, एवं RF६२१३३०१८०११, है। डाक विभाग के वेब साईट पर जाँच करने पर पाया गया कि प्रतिवादी को दिनांक-१०.०९.२०२१ को नोटिस प्राप्त होना प्रतिवेदित किया गया है। नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त के उपरान्त सुनवाई हेतु दिनांक-१६.०९.२०२१, २३.०९.२०२१ को तिथि निर्धारित किया गया। उक्त निर्धारित तिथि को केवल सरकारी पक्षकार उपस्थित हुए। प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। दिनांक-३०.०९.२०२१ को विज्ञ उत्पाद अधिवक्ता ने प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण वाद के निष्पादन में हो रहे विलंब के कारण एकपक्षीय सुनवाई कर वाद को निस्तारण किए जाने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। तदुपरान्त विधिवत नोटिस तामिला मानते हुए दिनांक-०७.१०.२०२१ को एकपक्षीय सुनवाई की गई। विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का पक्ष विस्तार से सुना गया। रखे गये पक्ष इस प्रकार है:-</p>		
<p>विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद का कथन है कि जड़ मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-३११-१२६२ के लिए दावा/आपत्ति प्राप्त करने हेतु माननीय व्यायालय द्वारा नियमानुसार सभी प्रक्रियाएँ अपना ली गई है। इतनी लम्बी अवधि व्यतीत के बाद भी कोई दावेदार अपना दावा पेश नहीं किए है। जड़ मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक को विधिवत नोटिस तामिला कराया जा चुका है। नोटिस तामिला प्राप्त उपरान्त सुनवाई हेतु निर्धारित की गई, किसी भी तिथियों में उपस्थित नहीं हुए है। ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक अपने बचाव में पक्ष रखना नहीं चाहते है। एकपक्षीय सुनवाई कर वाद निष्पादन किया जा सकता है। डाक विभाग के द्वारा प्रतिवादी का नोटिस तामिला दर्शाया गया है। एदत् संबंधी प्रतिवेदन के उपरान्त जड़ मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-३११-१२६२ के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक को नियमतः नोटिस तामिला माना जा सकता है। जड़ मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक उपस्थित नहीं होना यह दर्शाता है कि अपने ऊपर लगे आरोप के वे मूक रूप से स्वीकार कर रहे है, जिस कारण अपना पक्ष व्यायालय में उपस्थित होकर रखना नहीं चाहते है। दूसरी तरफ जड़ मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक की अनुपस्थिति इस ओर ईशारा करता है कि वे आरोप को निराधार साबित करने के लिए समक्ष नहीं है। थाना में दर्ज प्राथमिकी से जाहिर होता है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा दिया गश्ती के दौरान ग्राम पतलीया चौक के पास वाहन चेकिंग कर रहा था। इस क्रम में एक मोटर साईकिल में तीन व्यक्ति सवार होकर आया। मोटर साईकिल के लेगगार्ड पर बाँधा हुआ एक पीला रंग के प्लास्टिक गैलन था। उक्त गैलन को चेक किया तो गैलन में ०५ लटर देशी महुआ शराब पाया गया। उक्त मोटर साईकिल पर बीच में बैठे व्यक्ति हाथ में पकड़ा एक प्लास्टिक के बोरी में बाँधा दो गैलन था। जिसमें ०५-०५ लीटर का देशी महुआ शराब पाया गया। इस प्रकार कुल १५ लीटर देशी महुआ शराब पाया गया। घटना स्थल पर विधिवत जब्ती सूची तैयार कर उस पर पकड़े के तीनों अभियुक्त एवं स्वतंत्र साक्षी से हस्ताक्षर प्राप्त किया गया है। चूँकि घटना स्थल पर गिरफ्तार अभियुक्त एवं जड़ मोटर साईकिल के साथ गिरफ्तार अभियुक्त/गाड़ी मालिक के विरुद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पकड़े गये अभियुक्तों को व्यायालय में उपस्थित होकर पक्ष रखने हेतु नोटिस किया गया, परन्तु किसी भी तिथियों में पक्ष रखने हेतु वे उपस्थित नहीं हुए है। नोटिस प्राप्त के उपरान्त उन्हें काफी समय दिया गया लेकिन उसके बावजूद भी व्यायालय में उपस्थित होकर अपना दावा पेश नहीं किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वे अपना मोटर साईकिल विमुक्त करने के इच्छुक नहीं है या आरोप को निराधार साबित करने कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। यदि उन्हें कोई आपत्ति रहती, तो निश्चित तौर पर अपना</p>		



आपत्ति न्यायालय में दर्ज कराते एवं जबर मोटर साईकिल के विमुक्ति का अनुरोध करते। चूंकि जबर मोटर साईकिल से देशी महुआ शराब द्रोण जाने के क्रम में पकड़ा गया है, जिस कारण उक्त मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-39V-9262 को शराब द्रोण के उपयोग में लाये जाने के कारण धारा 56(घ) के अन्तर्गत अधिग्रहण योग्य है एवं उसे अधिग्रहित किया जा सकता है।

विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद की दलील सुनने उपरान्त अभिलेख में रक्षित कागजातों का गहन विचारण किया गया। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56 (घ) एवं संशोधित अधिनियम-2018 की धारा 13(ख) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि "जब कभी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध किया जाता है तो निम्नांकित वस्तुएँ अधिग्रहण की भागी होगी यथा:-किसी मादक द्रव्य या शराब द्रोण के लिए उपयोग में लाया गया कोई जानवर, जलयान, वाहन या अन्य सवारी।" पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा से प्राप्त राज्यसात प्रस्ताव प्रतिवेदन एवं विज्ञ विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद के द्वारा दिए गये तर्क तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत जबर मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-39V-9262 का उपयोग अवैध देशी महुआ शराब के द्रोण के लिए किया जा रहा था, जिसे घटना स्थल पर स्थानीय पुलिस बल के द्वारा जबर किया गया है।

अतः बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 56(घ) एवं बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम-2018 की धारा-13(ख) की परिधि के अन्तर्गत पाये जाने के कारण जबर मोटर साईकिल पंजीयन सं०-BR-39V-9262 को अधिग्रहित करते हुए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा-58 (2) के तहत राज्यसात (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है।

अधीक्षक, मद्यनिषेध मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे मोटर यान निरीक्षक, मधेपुरा से जबर मोटर साईकिल का मूल्य निर्धारण करवा कर उसे न्यूनतम जमा राशि मानते हुए निलामी करावेंगे। इस निलामी में भाग लेने वालों में से सबसे अधिक बोली लगाने वालों को ही उच्चतम मूल्य निर्धारित माना जायेगा। मोटर साईकिल मालिक निलामी की प्रक्रिया में भाग लेकर उच्चतम बोली अदा कर प्रथमतः मोटर साईकिल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा उक्त मोटर साईकिल उच्चतम बोली लगाने वाले को, उनसे राशि भुगतान पश्चात् उन्हें दे दी जाएगी। निलामी की सभी प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के उपरान्त मोटर साईकिल विमुक्ति की सूचना संबंधितों को अपने स्तर से देंगे। मोटर साईकिल निलामी से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवा दी जाएगी।

उक्त आदेश से विरुद्ध पक्ष चाहें तो अपीलीय प्रधिकार आयुक्त उत्पाद बिहार पटना के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

इस निदेश के साथ वाद में आगे की कार्यवाही समाप्त की जाती है आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अधीक्षक, मद्यनिषेध, मधेपुरा/यानाध्यक्ष, आलमनगर एवं मोटर साईकिल मालिक/प्रतिवादी को भी दें तथा एक प्रति जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

ह/

(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

ह/

(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।

डी०बी० नं०-87/व्या०, दिनांक 18-10-2021

प्रतिलिपि: प्रतिवादी 01. श्री सिकन्दर मंडल, पिता विनदेश्वरी मंडल, सा०-पतलीया टोला वार्ड नं०-03, धाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा, 02. श्री लालकृष्ण कुमार, पिता स्व०-चन्द्र मंडल, सा०-पतलीया टोला वार्ड नं०-03, धाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा एवं 03 श्री सुमन कुमार, पिता विजय सिंह, सा०-पतलीया टोला वार्ड नं०-03, धाना-आलमनगर, जिला-मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: यानाध्यक्ष, आलमनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: अधीक्षक, मद्यनिषेध, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को जिला के वैवसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।



(अभिराम त्रिवेदी)

वरीय उप समाहर्ता, मधेपुरा।

16/10/21